

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक:प. 11(03)मंमं/2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक 27-10-2014

विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री जी के परामर्श से माननीय राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित महानुभावों को राजस्थान मंत्रिपरिषद् में काबिना मंत्री/राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्री के पद पर नियुक्त किया है। इन महानुभावों ने आज दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 को अपराह्न 3.00 बजे राजभवन में आयोजित शपथ-ग्रहण समारोह में अपने पद की शपथ ग्रहण कर ली है :-

काबिना मंत्री

01. श्री सुरेन्द्र गोयल
02. श्री राजपाल सिंह शेखावत
03. डॉ राम प्रताप
04. श्रीमती किरण महेश्वरी


राज्यमंत्री ( स्वतंत्र प्रभार )

01. श्री अमराराम
02. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)
03. श्री वासुदेव देवनानी
04. श्री राजकुमार रिणवा
05. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
06. श्रीमती अनिता भदेल

राज्यमंत्री


01. श्री पुष्पेन्द्र सिंह
02. श्री बाबू लाल वर्मा
03. श्री अर्जुन लाल गर्ग
04. श्री ओटाराम

राज्यपाल के आदेश से,

  
(अजीत कुमार सिंह)  
प्रमुख शासन सचिव


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान ।
2. प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल, राजस्थान ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान ।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान ।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग ।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/ जिला कलेक्टर ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष ।
10. विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री ।
11. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री ।
12. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
13. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
14. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर ।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को दिनांक 27.10.2014 के विशेषांक में प्रकाशनार्थ विशेषांक की 50 प्रतियाँ शीघ्र भिजवाई जावे ।
16. निदेशक राजकॉम्प, जी.ए.डी. केबीनेट की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
17. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

  
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को अलग से प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. निबंधक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।

  
वरिष्ठ शासन उप सचिव